प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 06 फरवरी, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में स्वतंत्र फीडर की स्थापना हेतु 20 एम0वी0ए0 विद्युत भार की व्यवस्था किये जाने के संबंध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में स्वतंत्र फीडर की स्थापना हेतु 20 एम0वी0ए0 विद्युत भार की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल एवं मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 21,71,83,000/- (रूपया इक्कीस करोड इकहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में लागत का 40 प्रतिशत रू0 8,68,73,000/- (रूपया आठ करोड अडसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) की होगी।
3) स्वीकृत की जा रही वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक (तकनीकी) पूर्वान्चल विद्युत निगम लि0/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नही हो रही है।
5) प्रायोजना में प्रस्तावित अनुरक्षण दर को प्रतिस्पर्धा के आधार पर न्यूनतम स्तर तक निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजना पर नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स आदि यथावश्यक सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
6) कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने के द्रष्टि से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक (तकनीकी) पूर्वान्चल विद्युत निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।
7) आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है। यदि कार्यो की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, स्वीकृत आगणन के स्कोप में परिवर्तन आदि आता है तो समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनायी जाये। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं सक्षम अधिकारी का होगा।
8) कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता मासिक समीक्षा बैठक करेगें एवं निदेशक (तकनीकी) को आख्या प्रस्तुत करेंगे।
9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेक्स चार्ज लिया जायेगा।
10) आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
11) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
12) जी0एस0टी0 मद में देय धनराशि वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य की जायेगी।
13) समिति आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है। यदि कार्यो में मात्रात्मक अथवा विशिष्टि अनुसार परिवर्तन, स्वीकृत आगणन की परिधि (Scope) में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन आता है तो समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Copyright shasanadesh.up.nic.in

14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है

15) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-71-भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स), गोरखपुर को स्वतंत्र फीडर से विद्युत आपूर्ति-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/300/दस-2018, दिनांक 02 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-19/2018/6145(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग/आवास विभाग/ऊर्जा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5) जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक (तकनीकी), पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।
8) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, गोरखपुर।
9) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, गोरखपुर।
10) वित्त अधिकारी, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
11) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
12) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।